

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13072022-237275
SG-DL-E-13072022-237275असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ़ 22, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 184
No. 36]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944	[N.C.T.D. No. 184

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIदिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 63/नियम/डीएचसी.—चूँकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने, संशोधन के माध्यम से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिसूचना सं. 324/नियम/डीएचसी दिनांक 12.11.2008 द्वारा पुरः स्थापित आदेश 15-क शीर्षक “पट्टाकार द्वारा वाद में प्रतिरक्षा काटना” को आदेश 39-क के रूप में पुनः संख्यांकित तथा वर्तमान आदेश 39 शीर्षक “अस्थायी व्यादेश और अंतरवर्ती आदेश” के बाद में स्थापित करना प्रस्तावित किया है।

और चूँकि, कथित संशोधन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से लिखित रूप में आपत्तियां इस अधिसूचना के दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड-I में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह अर्थात् 30 दिवसों के भीतर आमंत्रित की जाती हैं।

और चूँकि, आपत्तियां दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक को निम्नलिखित पते/ई-मेल पर भेजी जा सकती हैं :-

दिल्ली उच्च न्यायालय,
शेरशाह मार्ग,
नई दिल्ली – 110503
ई-मेल : rg.dhc@nic.in

न्यायालय के आदेशानुसार,
रविंदर डुडेजा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th July, 2022

No. 63/Rules/DHC.—Whereas the High Court of Delhi, by way of amendment, proposes to renumber the Order XV-A titled as “Striking Off Defence in a Suit by a Lessor” introduced in Code of Civil Procedure, 1908 vide Notification No. 324/Rules/DHC dated 12.11.2008 as Order XXXIX-A and be placed after the existing Order XXXIX titled “Temporary Injunctions and Interlocutory Orders.

AND whereas the objections, in writing, from any person, with respect to said amendment are invited within a period of one month i.e. 30 days from the date of which this Notification is published in Part-II, Section-I of Delhi Gazette Extraordinary.

AND whereas, the objections may be sent to the Registrar General of the High Court of Delhi, at the following address/E-mail address :-

High Court of Delhi,
Sher Shah Marg,
New Delhi – 110 503.
E-mail : rg.dhc@nic.in

By Order of the Court,
RAVINDER DUDEJA, Registrar General